जनपद-संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 13.10.2024

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता 1. कोईल उर्फ दशरथ पुत्र लाले निषाद 2. सोमई पुत्र लाले निषाद निवासीगण मोहनलालपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, हे0का0 प्रदीप सिंह, हे0का0 विजय सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 16 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3312 द्वारा दो पक्षो में मार पीट में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3312 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत बुन्दीपार से इवेन्ट संख्या 30962 से कालर द्वारा दो पक्षो में मार पीट में घायल 01 महिला (रेनू पत्नी सुरेन्द्र ग्राम बुन्दीपार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर विवाद को शांत कराकर मारपीट में घायल हुई महिला को इलाज हेतु एम्बुलेंस 108 की सहायता से सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल हुई महिला को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- आ0 राहुल यादव, हो0चा0 करम हुसैन।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 90 वाहनों से 1,01,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 13.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 90 वाहनों से 1,01,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।